कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1590 / FP/UK/ROAD/45667/2020 देहरादून: 27 दिसम्बर, 2021.
1524

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः- जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी-चित्तौर-घाईसैन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/45667/2020)

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/101/2020/एफ0सी0/1423 दिनॉक 30-09-2020.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 2054/12-1 दिनांक 15.12.2021 (सलंग्नक-1) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:-

S.N.	Observation	Compliance
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.045 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम लडवाकोट, खसरा संख्या- 213 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्याहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guideline Para 2.4 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किए गए हैं, का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 1.5225 हे0 वन भूमि की एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.045 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम लडवाकोट में चिन्हित की गयी है, जिसका वन विभाग द्वारा निरीक्षण के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किए जाने की दशा में कार्यवाही गतिमान है, जिसकी सूचना पृथक से प्रस्तुत की जायेगी।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.9860 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए	उक्त शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 1.5225 हे0 वन भूमि की एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि निर्दिष्ट करा दी गयी है। सम्बन्धित चालान की पठनीय प्रति संलग्न है।

	शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 Trees including 28 Sampling होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II Approval as per guidelines Para 11 2 The State Govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों किनारे एवं उसके बीचो-बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	सम्बन्धित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	CWLW/NBWL/FC/REC की सिफारिशें के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र घन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जाएगा।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर परियोजना लागत र सीमांकन किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पा में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियेजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल सं0-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार ही करवाई होगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हि में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिदिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वाराउपर्युक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूव, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन रूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http parivesh.nic in) पर अपलोड की जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या :– 1590 / FP/UK/ROAD/45667/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

o/c